CNR No- UPMH1200- 0330- 2026

न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, जनपद- महराजगंज

प्रकीर्ण वाद संख्या- 56/ 2026

दीपचन्द बनाम मुन्नु आदि

दिनाँक- 19. 06. 2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस.

01. पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। आवेदिका के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस. पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

02. आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस. प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम ललाइन पैसिया, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज का स्थाई निवासी है। प्रार्थी शारीरिक रूप से विकलांग व कमजोर है। प्रार्थी की पत्नी का तबियत बुरी तरह खराब हो गया था प्रार्थी पत्नी को दवा इलाज हेतु कर्जदार हो गया है। प्रार्थी के पिता अभियोग सत्यनरायन द्वारा हम प्रार्थी को परिवारिक बंटवारे में 04 डिसमिल जमीन जीकृत है अथवा ललाइन पैसिया लक्ष्मीपुर रोड के किनारे दे दिया गया है। पत्नी की दवा, इलाज हेतु पिता सत्यनायन के द्वारा उक्त 04 डि० जमीन को मु० 3200000/ - रूपये (बत्तीस लाख रूपये) में एक व्यक्ति सुबाष पुत्र हरिचन्द निवासी ग्राम धोतियहवा, थाना- नौतनवा, जनपद- महराजगंज अजय से तय करवाकर हमारे हिस्से की जमीन को बेचकर / पिता से बेचवाकर पत्नी की दवा इलाज कराने की बात पर प्रार्थी राजी हो गया। पिता की बात मानकर प्रार्थी अपने हिस्से की जमीन के बदल विभिन्न तिथियों में 590000 / - रूपया प्राप्त किया और अपनी पत्नी का दवा इलाज कराता रहा, दिनांक 07. 11. 2025 को प्रार्थी बैंक से पैसा निकालने जा रहा था इसी बीच हमारे पट्टीदार मुन्नू पुत्र ध्रुप, सूरज पुत्र हीरा, पवन पुत्र दीपचन्द (लड़का) और हमारा साला सन्तोष एक राय होकर हम प्रार्थी को पकड़ लिए और माँ बहन की भददी भददी गाली गुप्ता देंते हुए कहे कि तुम्हारी पत्नी अब नही बचेगी, पैसा मत खर्च करो, हम प्रार्थी को डरा धमका कर प्रार्थी को बैंक के अन्दर ले जाकर हमारे खाते से 450000/ - रूपया पवन (लड़का) के खाते मे जबरजस्ती ट्रान्सफर करा दिया उक्त सभी लोग धमकी दिए कि बैंक के अन्दर कुछ बोलोगे तो जान से मार कर खत्म कर देगे, तुम्हारी पत्नी भी दवा के अभाव मे मर जायेगी। प्रार्थी डर वश बैक के अन्दर उन लोगो के दबाव मे कुछ नही बोल पाया । प्रार्थी बैक से बाहर निकला और शोर किया तो मुन्नू, सूरज, पवन, सन्तोष द्वारा लात, मुक्का, डण्डे से मार कर घायल कर दिया गया। घटना को बहुत से लोगो ने देखा व बीच बचाव कर प्रार्थी की जान बचाई। उपरोक्त लोग जान मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इधर रूपया ट्रान्सफर करा लेने के कारण रूपये के अभाव में अपनी पत्नी की दवा इलाज सुचारू रूप से नही करा पाया जिसके कारण हमारी पत्नी का भी देहान्त हो गया। उपरोक्त लोगो के मार से प्रार्थी को काफी चोटे आई थी लेकिन पत्नी की दवा, इलाज व मौत के कारण प्रार्थी अपनी चोटो का तत्काल इलाज नही कराया, लेकिन आंख पर चोट लगने के कारण प्रार्थी पत्नी का किया कर्म करने के बाद अपनी आंख का भी इलाज कराया। प्रार्थी ने घटना की सूचना थाना पुरन्दरपुर मे दिया था लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही किया गया। प्रार्थी पत्नी के किया कर्म व अपनी दवा इलाज कराने के बाद जरिए रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक महोदय महराजंगज को भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रार्थी एक सीधा साधा व्यक्ति है विपक्षीगण काफी सरकस, मनबढ किस्म के लोग है विपक्षीगण के खिलाफ इस्तगासा दाखिल करके पैरवी किया जाना सम्भव नही है। ऐसी दशा में घटना उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण के विरूद्ध तफतीस किए जाने हेतु थानाध्यक्ष पुरन्दरपुर को आदेशित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि घटना उपरोक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण के विरूद्ध तफतीस किए जाने हेतु थानाध्यक्ष पुरन्दरपुर को आदेशित करने की कृपा करें।

03 थाने से आख्या आहूत की गई। थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार

पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

04. आवेदक द्वारा कथन के समर्थन में जनसुनवाई पोर्टल की रसीद की छायाप्रति अपने आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक महराजगंज को भेजे गए प्रार्थना पत्र का छायाप्रति, बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

05. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

06. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर लात मुक्का डण्डे से मारने-पीटने तथा जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप लगाया गया है प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण ने उसे डरा धमकाकर उसके बैंक खाते से मु0- 450000/ - रू. ट्रान्सफर करवा लिया । इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसमें 4,50,000/ - रू. ट्रान्सफर होना दर्शित हो रहा है। प्रार्थी का कथन है कि विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को मार कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दिया गया। प्रार्थी को विपक्षीगण के नाम की भलीभांती जानकारी है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा प्रपत्रों से यह विदित होता है कि प्रार्थी को उक्त घटना से संबंधित सभी घटना क्रम की भलीभांति जानकारी है एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए **रामबाबू गुप्ता प्रति स्टेट आफ यूपी 2001 (1) ए. सी. सी. - 50 तथा सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू. पी. (2007- AHC- 1195- DB)** में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयन विधि के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

मामला पृथक से प्रकीर्ण के रूप में दर्ज हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 223 के परन्तुक के आलोक में परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा- 223 दर्ज किए जाने से पूर्व विपक्षीगण मुन्नु पुत्र ध्रुप, सूरज पुत्र हीरा, पवन पुत्र दीप को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस दिनांक- 30. 07. 2026 को जारी हो। परिवादी नियमानुसार पैरवी करे।

(अंकित कुमार- II)
अपर सिविल जज(अवर खण्ड) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा
जनपद- महराजगंज
J. O. Code- UP4736